दिनांक 02.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 557/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद ललितपुर/थाना मडावरा

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02.11.2026 को थाना मडावरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोहिणी बन्धा बहद कस्बा मडावरा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–सरताज अली उर्फ तरू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सिकन्दर अली सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सरताज अली उर्फ तरू थाना मडावरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेंज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बांदा, ललितपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व म0प्र0 के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मडावरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरताज अली उर्फ तरू निवासी ग्राम पण्डा थाना सकरी जनपद बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हालपता–अमन कालोनी ईरानी डेरा थाना निशातपुरा जनपद भोपाल, म0प्र0।

2–सिकन्दर अली निवासी चिदरी रोड हुसैनी कालोनी थाना गांधीगंज जनपद बिदर स्टेट, कर्नाटक।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सम्भल/थाना रजपुरा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल व अन्य मोटर साइकिलों के पार्ट्स बरामद**

दिनांक 02.11.2022 को थाना रजपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अनूपशहर रोड से गवां जाने वाले रास्ते पर बिजली घर के पास से 03 अभियुक्तों 1–प्रमोद 2–अमित 3–नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल व अन्य मोटर साइकिलों के पार्ट्स बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रजपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रमोद निवासी ग्राम शेरपुर थाना धनारी जनपद सम्भल।

2–अमित निवासी बगडेर के घेर थाना धनारी जनपद सम्भल।

3–नीरज निवासी ग्राम भिरावटी थाना धनारी जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–चोरी की 12 मोटर साइकिल व अन्य मोटर साइकिलों के पार्ट्स।

जनपद बरेली/थाना आंवला

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **660 ग्राम अवैध अफीम**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 बुलेट मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01/02.11.2026 की रात्रि थाना आंवला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1– राहुल प्रताप 2– मोर सिंह 3– संजय को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 660 ग्राम अवैध अफीम, 03 मोबाइल फोन, 01 बुलेट मोटर साइकिल बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना आंवला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल प्रताप निवासी ग्राम उरला थाना आंवला जनपद बरेली।

2–मोर सिंह निवासी मिलक जेतपुर गौटिया थाना विशारतगंज जनपद बरेली।

3–संजय निवासी जैतपुर मोड कस्बा व थाना विशारतगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–660 ग्राम अवैध अफीम।

2–03 मोबाइल फोन।

3–01 बुलेट मोटर साइकिल।

जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 90 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01.11.2026 की रात्रि थाना हसनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दीपपुर बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त मोहसिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 90 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहसिन निवासी कायस्थान थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–लगभग 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 90 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

- **जनपद रामपुर/थाना बिलासपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 50 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना बिलासपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि व 7 सीएलए के अन्तर्गत अभियुक्त 1–फरजन्द खां 2–राजीम को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना जहाँगीरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना जहाँगीरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त इरफान को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सहारनपुर/थाना बेहट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना बेहट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–फ़रमान 2–दानिश को 10–10 वर्ष के कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————